राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा

संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

नदियों के अंतर्योजन की परियोजना

के कार्यबल की पाँचवीं बैठक की कार्यवृत्त

(25 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित)

नई दिल्ली

25 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल की 5 वीं बैठक की कार्यवृत्त

25 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में श्री बी.एन. नवलावाला, अध्यक्ष, कार्यबल तथा मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अध्यक्षता के अंतर्गत नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल की 5 वीं बैठक आयोजित हुई थी। सहभागियों की सूची संलग्नक I में प्रस्तुत की गई है।

आरम्भ में, श्री बी.एन. नवलावाला, अध्यक्ष, कार्यबल तथा मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों तथा विशेष अतिथियों का स्वागत किया था। अपने आरंभिक भाषण में, उन्होंने सूचित किया कि वे जून, 2016 में आयोजित पिछली बैठक के बाद से समय-समय पर रा.ज.वि.अ के महानिदेशक तथा रा.ज.वि.अ के अन्य अधिकारियों के संपर्क में रहे थे ताकि वे विशेष रूप से केन-बेतवा, पार-तापी-नर्मदा, दमनगंगा-पिंजल और महानदी-गोदावरी लिंकों जैसे महत्वपूर्ण लिंकों के संबंध में न.के.अं की परियोजना की स्थितियों के बारे में ध्यान-पूर्वक विचार कर सके। उन्होंने बताया कि न.के.अं के कार्यक्रम में अब तक ओडिशा द्वारा प्रस्तुत अवरोध अति सहायक नहीं रहे थे। जल दाता राज्य रा.ज.वि.अ द्वारा निष्पादित जल संतुलन अध्ययनों से सहमत नहीं हो रहे हैं। न.के.अं के कार्यक्रम में सम्मिलित कानूनी निहितार्थों पर विचार करते हुए, संबंधी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और इस मामले में उचित संस्तुतियां प्रदान करने के लिए कार्यबल के तहत श्री ए.डी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ और कार्यबल के सदस्य के अध्यक्षता के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर एक समूह संस्थापित की गई है। उसके बाद उन्होंने रा.ज.वि.अ के महानिदेशक तथा कार्यबल के सदस्य-सचिव से एजेंडा मुद्दे पर चर्चा आरंभ करने का अनुरोध किया था।

मुद्दा संख्या 5.1: 15 जून, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल के 4 थी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

रा.ज.वि.अ के महानिदेशक तथा कार्यबल के सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि पत्र संख्या न.के.अं.वि.स/तक/400/5/2015/812-833 दिनांकित 1.7.2016 के माध्यम से सभी सदस्यों को 15.06.2016 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल (न.के.अं-का.ब) के 4 थी बैठक की कार्यवृत्त संचारित की गई थी। किसी भी सदस्य के तरफ से कोई टिप्पणी नहीं मिली थी। अतः, संचारण अनुसार न.के.अं की परियोजना के कार्यबल की चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है। उस समय, डॉ प्रोदिप्तो घोष ने पिछली बैठक में उनके द्वारा प्रस्तावित निम्न दो विषयों पर प्रस्तुतीकरण से संबंधित निष्पादित कार्यवाहियों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की:

i. पीक सीजन में भूजल जलभृत के पुनर्भरण के लिए न.के.अं की परियोजना का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है – जल क्षेत्र से किसी विशेषज्ञ या रा.ज.वि.अ. द्वारा
ii. संरचना क्षेत्रों के मामले में सार्वजनिक निजी सहभागिता का अनुभव (और नदियों के अंतर्योजन या जल क्षेत्र में नहीं), जहाँ पर यह अत्यंत सफल रहा है, एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ द्वारा

कार्यबल के अध्यक्ष ने डॉ घोष से सार्वजनिक निजी सहभागिता के क्षेत्र में योग्य विशेषज्ञों के नामों का सुझाव देने का अनुरोध किया था ताकि प्रस्तुतीकरण के लिए उनसे संपर्क किया जा सके। इस संबंध में, श्री घोष ने श्री विनायक चटर्जी का नाम प्रस्तावित किया। रा.ज.वि.अ ने अनुवर्ती बैठक में डॉ घोष के सुझावों पर कार्यवाही करने के प्रति सहमति जताई थी। कार्यबल के अध्यक्ष ने बताया कि न.के.अं की परियोजना के पिछले कार्यबल ने न.के.अं की परियोजनाओं के वित्त-पोषण के विषय में कई विकल्पों का सुझाव दिया था। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि नए कार्यबल के सदस्यों को पिछले कार्यबल द्वारा तैयार किया गया वित्त-पोषण रिपोर्ट संचारित किया जाए, जिस पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, अगली बैठक में भूजल जलभृत के पुनर्भरण के लिए पीक सीजन में न.के.अं की परियोजनाओं का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है - के मुद्दे पर जल क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ या रा.ज.वि.अ द्वारा एक प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष ने इच्छा प्रकट की कि यदि अगले एक महीने के अंदर अगली बैठक आयोजित हुई तो अच्छा होगा।

मुद्दा संख्या 5.2: पिछली बैठक एक दौरान लिए गए निर्णयों पर निष्पादित अनुवर्ती कार्यवाही

(i) अधिशेष जल तथा जल संतुलन अध्ययनों की तैयारी हेतु दिशा-निदेश

रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने सूचित किया कि चौथे बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार कार्यबल द्वारा निर्धारित नदी के जलाशय में अधिशेष जल के हिसाब के लिए मसौदा दिशा-निदेशों का संचारण रा.ज.वि.अ के त.स.स के सदस्यों के मध्य दिनांकित 12.7.2016 के पत्र के माध्यम से रा.ज.वि.अ द्वारा किया गया था। मुद्दा संख्या 5.3 के तहत इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने का प्रस्ताव है।

(ii) कानूनी पहलुओं पर समूह की संस्थापना

रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने श्री ए.डी. मोहिले के अध्यक्षता के तहत कानूनी पहलुओं पर एक समूह की संस्थापना के विषय में सूचित किया था। इस समूह ने 19.8.2016 और 15.9.2016 को अपनी दो बैठकें आयोजित की थी। कार्यबल के अध्यक्ष ने श्री मोहिले जी से न.के.अं के कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त तंत्रों के विषय में सुझाव देने का अनुरोध किया था, जिससे राज्य सरकारें रा.ज.वि.अ द्वारा निष्पादित जल संतुलन अध्ययनों का यथावत सम्मान करे। उन्होंने यह इच्छा भी प्रकट की कि कार्यबल के सभी सदस्यों को श्री विराग गुप्ता, कानूनी समूह के सदस्य द्वारा रचित न.के.अं की परियोजनाओं के कानूनी पहलुओं और अधिशेष जल पर सुझाव नोट की एक प्रतिलिपि संचारित की जाए क्योंकि यह अत्यंत उपयोगी है। इस मुद्दे की जटिलता को देखते हुए समूह को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए दो महीने की अतिरिक्त अवधि प्रदान की गई है।

डॉ घोष की यह राय थी कि क्योंकि अंतर राज्य नदियों के संबंध में केंद्र के पास स्पष्ट सांविधिक अधिदेश मौजूद है, कार्य बल द्वारा मंजूरी प्रदान जल संतुलन अध्ययन राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होना चाहिए और रा.ज.वि.अ द्वारा आगणित अधिशेष जल राज्य सरकारों को स्वीकार्य होना चाहिए।

श्री विराग गुप्ता ने उल्लेख किया कि क्योंकि सतही जल एवं भू जल एक दूसरे से सह-संबंधित है, अतः इन दोनों के लिए अलग-अलग नियम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद को सतही जल तथा भू जल दोनों के लिए एक-समान विधान बनाना चाहिए। दूसरा, राज्यों पर अधिशेष जल के विषय में मौजूदा कानूनी समझ बाध्यकारी नहीं है क्योंकि हमारे पास उत्परिवर्तित आंकड़ें मौजूद नहीं है। अतः हमारे पास सार्वजनिक डोमेन में नदी प्रवाह, भिन्न आवश्यकताओं के लिए जल उपयोग तथा अधिशेष जल के उत्परिवर्तित आंकड़ें होने चाहिए। तीसरा, नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रम के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के तरफ से पृष्ठांकन होना चाहिए।

रा.ज.वि.अ के महानिदेशक से स्पष्ट किया कि निर्दिष्ट नियमों के अनुसार नदी प्रवाह आंकड़ों का प्रत्येक वर्ष निरंतर अद्यतन किया जाता है और राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों को प्रदान किया जाता है। हालांकि, राज्यों के तरफ से जल उपयोग आंकड़ें प्राप्त करने में समस्या होती है। कभी-कभी उनके पास वास्तविक तथा समयोचित उपयोग आंकड़ें मौजूद नहीं होते हैं जबकि कभी-कभी उनके पास वास्तविक आंकड़ें होते हुए भी वे केन्द्रीय अभिकरणों से इनका साझा नहीं करना चाहते हैं। रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान उपयोग के संबंध में आंकड़ों के विषय में कोई विवाद नहीं है क्योंकि इसका पता रिकार्ड्स की जाँच कर आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि, प्रक्षेपित उपयोगों से संबंधित आंकड़ों के विषय में विवाद उत्पन्न होता है क्योंकि इस सन्दर्भ में प्रक्षेपण तथा अनुमान शामिल होता है।

कार्यबल के अध्यक्ष ने न.के.अं की परियोजना के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मध्यवर्त के बारे में श्री विराग गुप्ता जी से उनकी राय माँगी। श्री गुप्ता जी ने कहा कि यदि न.के.अं के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में असफलता के

आधार पर मध्यवर्त की माँग की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र के इस अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। हालांकि, यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में अभाव या अस्पष्टता के आधार पर मध्यवर्त की माँग की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस अनुरोध को स्वीकार कर सकता है।

आंकड़ों के संबंध में यह सुझाव दिया गया था कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जलाशयों जैसे प्रतिबंधित जलाशयों के अलावा उत्परिवर्तित नदी प्रवाह आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए ताकि राज्य सरकारों के पास इन आंकड़ों का विरोध/ इस पर विवाद करने का कोई कारण न रह जाए और मामले में सम्पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। यदि यह सार्वजनिक डोमेन में होता है, तो जब तक किसी यथार्थ कारण के आधार पर राज्यों द्वारा विरोध नहीं किया जाता, तो उचित समय के बाद, कोर्ट द्वारा इसे राज्यों द्वारा स्वीकृत आंकड़ा समझा जाएगा। दूसरा, मौजूदा तथा प्रक्षेपित उपयोग आंकड़ों के समकालन हेतु राज्य सरकारों के साथ मिल कर प्रयास किया जाना चाहिए। इससे अधिशेष जल के निर्धारण में सहायता मिलेगी और जो राज्यों को स्वीकार्य भी होगा।

(iii) नव नियुक्त सदस्यों के लिए या.भ/ म.भ

रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने एजेंडा नोट में प्रस्तुत मामले की स्थिति के विषय में सूचित किया था। न.के.अं-का.ब के अध्यक्ष ने गैर-सरकरी सेवा निवृत्त (सरकारी अधिकारी) सदस्यों (रु. 10,000 के ग्रेड पे में वेतनमान-4) के अधिकार के समान गैर-सरकरी निजी सदस्यों के या.भ/म.भ अधिकार के संबंध में प्रस्ताव के अनुमोदन में होने वाले विलंब पर चिंता प्रकट की थी। सदस्यों को भी ऐसा लगा कि केवल इस या.भ/ म.भ के अधिकार के अवरोधों के कारण अन्य क्षेत्रों से सदस्यों के सहयोजन के लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

मुद्दा संख्या 5.3: नदी के जलाशय में जल संतुलन अध्ययन निष्पादित करने के लिए रा.ज.वि.अ के दिशा-निदेशों की समीक्षा

रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने सूचित किया कि कार्यबल द्वारा निर्धारित नदी के जलाशय में अधिशेष जल के हिसाब के लिए मसौदा दिशा-निदेशों का संचारण रा.ज.वि.अ के त.स.स के सदस्यों के मध्य दिनांकित 12.7.2016 के पत्र के माध्यम से रा.ज.वि.अ द्वारा किया गया था और साथ हीं उनसे एक महीने के अंदर इन दिशा-निदेशों पर उनकी सरकार की राय के बारे में अवगत करवाने का अनुरोध भी किया गया था। इसके उत्तर के रूप में, के.भू.ज.बो, रा.ज.सं, के.वि.प्रा, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, और तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना राज्यों से टिप्पणी मिली थी। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने न.के.अं की परियोजना के कार्यबल द्वारा निर्धारित मसौदा दिशा-निदेशों का समर्थन किया है। इन टिप्पणियों के आधार पर, मसौदा दिशा-निदेशों को संशोधित किया गया है और आवश्यक सुधार किया गया है। सदस्यों ने संशोधित दिशा-निदेशों पर चर्चा किया था। दिशा-निदेशों पर चर्चा के दौरान उभरने वाले महत्वपूर्ण बिंदु निम्न अनुसार हैं:

i. कुछ सदस्यों की राय यह थी कि जल संतुलन अध्ययनों में जल संसाधनों की कुल उपलब्धता का हिसाब करते समय सतही जल संसाधनों में उपयोग योग्य भू जल संसाधनों को भी जोड़ा जाना चाहिए। अधिशेष जल का हिसाब करते समय भू जल के सम्मिलन के सुझाव से कुछ सदस्य इस कारणवश सहमत नहीं थे कि भू जल की उपलब्धता स्थान विशिष्ट है, भूजल जलभृत जलाशय के सीमा में मौजूद नहीं है और इसके अलावा इसका माप भी सटीक नहीं है। चर्चा के बाद, यह माना गया कि किसी भी जलाशय में भू जल उपलब्धता में किसी भी अधिशेष या अभाव का आंकलन और तदनुरूप हिसाब प्रायोगिक नहीं होगा और अतः भू जल को सम्पूर्ण रूप से राज्यों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि जल संसाधन विकास

योजनाओं में रा.ज.वि.अ या राज्य सरकार सतही जल तथा भू जल दोनों क्र संयोजक तथा अनुकूल उपयोगों के बारे में विचार नहीं करेगी।

ii. तमिल नाडू ने अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग (1999 रिपोर्ट) के संस्तुतियों अनुसार प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए सिंचाई प्रभावकारिता को 60% तक सीमित किया जाना चाहिए क्योंकि रा.ज.वि.अ द्वारा ज.सं.अ.तै की तैयारी के समीक्षित दिशा-निदेशों में स्वीकृत प्रावधान अनुसार 65% की सिंचाई प्रभावकारिता उपलब्ध कर पाना संभव नहीं होगा। चर्चा के बाद, कार्यबल के सदस्यों ने सिंचाई प्रभावकारिता को 65% बनाए रखने का निर्णय लिया, जैसा कि मसौदा दिशा-निदेश में स्वीकृत है।

iii. जल संतुलन अध्ययन में जल उपलब्धता के हिसाब के लिए 75% निर्भरता प्रवाह के संबंध में राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राजस्थान जैसे सूखा-प्रवण राज्यों के लिए इस प्रावधान में छूट प्रदान किया जाना चाहिए और राज्यों को 50% निर्भरता प्रवाह तक की कम निर्भरता के लिए अपने परियोजना की योजना बनाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। कार्यबल के अध्यक्ष ने कहा कि 75% निर्भरता प्रवाह का मानदंड कृषकों के निवेश के जोखिमों से संबंधित था। हालांकि, क्योंकि राजस्थान में अन्य जल अभाव वाले क्षेत्रों सहित 30% मरुभूमि क्षेत्र है, उन्होंने राजस्थान के चिंताओं का अभिमूल्यन किया और कहा कि केवल कुछ विशिष्ट मामलों में हीं जल अभाव वाले क्षेत्रों के लिए 50% निर्भरता प्रवाह के आधार पर योजना बनाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। हालांकि, राष्ट्रीय हित में सामान्य योजना के लिए 75% निर्भरता मानदंड का पालन किया जाना होगा।

iv. रा.ज.सं ने जल विज्ञानीय अध्ययनों में रा.ज.वि.अ द्वारा मौसमी आधार पर निष्पादित वर्षा-अपवाह समाश्रायण विश्लेषण के वजाय मासिक आधार पर वर्षा-अपवाह समाश्रायण विश्लेषण आयोजित करने का सुझाव दिया था। श्री ए.डी मोहिले ने बताया कि जल उपलब्धता के आंकलन के लिए कई मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक पद्धति मौजूद हैं, अतः, जल उपलब्धता के आंकलन के लिए वर्षा-अपवाह पद्धति के वजाय केवल उचित वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। कार्यबल के अध्यक्ष ने बताया कि राज्यों को जल विज्ञानीय अध्ययनों में रा.ज.वि.अ द्वारा आपनाए जा रहे मौजूदा वर्षा-अपवाह समाश्रायण विश्लेषण पद्धति से कोई आपत्ति नहीं थी और अतः जल उपलब्धता के आंकलन के लिए रा.ज.वि.अ द्वारा अपनाए जा रहे इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना वांछनीय नहीं होगा।

v. डॉ प्रोदिप्तो घोष ने सुझाव दिया कि नदी के जलाशय में अधिशेष जल के आगणन में सिंचाई के लिए कुल जल आवश्यकताओं का प्रावधान बनाने के लिए कृषि योग्य कुल क्षेत्र के 60% के आगणन के समय केवल आतंरिक लाभ दर (आं.ला.द)/ आर्थिक लाभ दर (आ.ला.द) पर आधारित साध्य मौजूदा, जारी तथा निर्धारित भविष्य परियोजनाओं पर हीं विचार किया जाना चाहिए।

vi. कुछ राज्यों ने पर्यावरणीय प्रवाह के प्रावधानों पर टिप्पणी की है और पर्यावरणीय प्रवाहों में बढ़ोतरी की वकालत की है। कार्यबल के सदस्यों की राय यह थी कि अब तक पर्यावरणीय प्रवाह पर कोई मतैक्यता हासिल नहीं की गई है। अतः रा.ज.वि.अ द्वारा पर्यावरणीय प्रवाह के रूप में औसत लीन सीजन प्रवाह का 10% स्वीकार करने की मौजूदा परंपरा को जारी रखा जा सकता है।

vii. तमिल नाडू ने जल संतुलन अध्ययन में पुनरुत्पादन के प्रावधान को घटाने का अनुरोध किया है। रा.ज.वि.अ के दिशा-निदेशों अनुसार पुनरुत्पादन के संबंध में निष्पादन किए जाने वाले वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर पुनरुत्पादन प्रतिशत में परिवर्तन हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए कार्यबल को लगा कि पुनरुत्पादन के संबंध में मसौदा दिशा-निदेशों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कार्यबल को ऐसा भी लगा कि लवणता नियंत्रण के संबंध में मसौदा दिशा-निदेशों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

viii. 75% निर्भरता प्रवाह में परिवर्तन के लिए तेलंगाना राज्य के अनुरोध के संबंध में यह प्रेक्षित किया गया कि इन दिशा-निदेशों की रचना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किया गया है और जबकि तेलंगाना की समस्या राज्य विशिष्ट है। यह उल्लेख किया गया कि तेलंगाना के तरफ से उत्थान ऊँचाई की सीमा को 120 मीटर से अधिक बढ़ाने के अनुरोध पर पहले ही विचार किया गया था और इसे स्वीकार किया गया था।

मुद्दा संख्या 5.4: कानूनी समूह के लिए समय अवधि में विस्तारण तथा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति

रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने कानूनी पहलुओं के लिए गठित समूह के कार्यकाल का विस्तारण 20 नवम्बर, 2016 के अवधि तक और समूह के अध्यक्ष के रूप में श्री ए.डी. मोहिले की नियुक्ति की सूचना प्रदान की। सदस्यों ने इस संबंध में घटित विकास को नोट किया।

मुद्दा संख्या 5.5: महानदी-गोदावरी लिंक का प्रणाली अनुकरण अध्ययन

रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने सूचित किया कि 13 मई, 2016 को आयोजित उप-समिति की 8 वीं बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार रा.ज.सं द्वारा जल विज्ञानीय अध्ययनों और महानदी-गोदावरी लिंक की बहु-जलकुंड अनुकरण की मसौदा रिपोर्ट की समीक्षा की गई थी तथा जुलाई, 2016 में रा.ज.वि.अ को ये जमा किया गया था। 30.08.2016 को आयोजित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति की 9 वीं बैठक में समीक्षित रिपोर्ट पर विस्तार-पूर्वक चर्चा की गई थी। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार, रा.ज.सं को रा.ज.वि.अ तथा राज्य सरकार तथा अन्य अभिकरणों से आवश्यक आंकड़ें मिलने के पश्चात 25 दिनों के भीतर रिपोर्ट पूरा करना था। तदनुसार, रा.ज.वि.अ द्वारा रा.ज.सं, रूर्की को सभी आवश्यक आंकड़े प्रदान किए गए थे और अध्ययनों पर समीक्षण/ उनका निर्धारण जारी है। कार्यबल के अध्यक्ष यह जानना चाहते थे कि ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों को उप-समिति के बैठक के चर्चा में शामिल किया जा रहा है या नहीं। यह उल्लेख किया गया कि दोनों राज्य सरकारों को अध्ययन में शामिल किया जा रहा है।

मुद्दा संख्या 5.6: अध्यक्ष के अनुमति से कोई अन्य मुद्दा

कार्यबल के अध्यक्ष जानना चाहते थे कि क्या कभी राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के बैठक में नदियों के अंतर्योजन की परियोजना पर चर्चा हुई थी। यह सूचित किया गया कि इस पहलू की जाँच करनी होगी। अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि रा.ज.सं.प के अगली बैठक के एजेंडा में न.के.अं की परियोजना का मुद्दा शामिल किया जा सकता है।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक I

25.10.2016 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल के पाँचवीं बैठक के सहभागियों की सूची

1.	श्री बी.एन नवलावाला, मुख्य सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	श्री जी.एस. झा, अध्यक्ष, के.ज.आ	सदस्य
3.	श्री ए.डी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	श्री विराग गुप्ता, सांविधिक तथा पर्यावरणीय कानून विशेषज्ञ	सदस्य
5.	श्री प्रोदिप्तो घोष, पूर्व सचिव, प.व.मं	सदस्य

6. श्री एस.मसूद हुसैन, सदस्य-सचिव
   महानिदेशक, रा.ज.वि.अ

विशेष अतिथिगण:

7. श्री आर.जेयासलीन,
   पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ

8. श्री एस. नरसिम्हा राव, प्रधान सचिव, सिंचाई एवं
   मुख्य अभियंता, सी.ए.डी, तेलंगाना सरकार
   अंतर राज्य जल संसाधन विभाग., के प्रतिनिधि
   तेलंगाना सरकार

9. श्री डी. संकरा राव, प्रधान सचिव, सिंचाई एवं
   उप-कार्यकारी अभियंता, स.क.अ.सं, सी.ए.डी, आंध्र प्रदेश सरकार
   आंध्र प्रदेश सरकार, के प्रतिनिधि
   हैदराबाद

10. श्री आर.वी पांसे, प्रधान सचिव (ज.सं.वि),
    महानिदेशक, महाराष्ट्र सरकार के
    महाराष्ट्र अभियांत्रिकी अनुसंधान, प्रतिनिधि
    संस्था (म.अ.अ.सं), नासिक, महाराष्ट्र

11. श्री के.बी रबडिया, सचिव, ज.सं.वि,
    मुख्य अभियंता (महासचिव) एवं गुजरात सरकार के
    अपर सचिव, गुजरात सरकार, प्रतिनिधि
    गांधीनगर

12. श्री अनिल शर्मा, सचिव, ज.सं.वि,
    मुख्य अभियंता, राजस्थान सरकार,
    जल संसाधन विभाग, जयपुर
    राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान)

13. श्री आर.के सुकलिकर, प्रधान सचिव, ज.सं.वि,
    अपर सचिव, ज.सं.वि, मध्य प्रदेश सरकार,
    मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल, म.प्र भोपाल

राज्य सरकार के अन्य अधिकारी:

14. श्री वी. कृष्णा राव,
    कार्यकारी अभियंता, ज.सं.वि,
    आंध्र प्रदेश सरकार

15. श्री आर. वेंकट रमना,
    उप निदेशक (अपर), सिंचाई तथा सी.ए.डी
    तेलंगाना सरकार

रा.ज.वि.अ के अधिकारी:

16. श्री एम.के श्रीनिवास
    मुख्य अभियंता (दक्षिण),
    रा.ज.वि.अ, हैदराबाद

17. श्री आर.के जैन,
    मुख्य अभियंता (मुख्यालय),
    रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली

18. श्री एन.सी जैन,
    निदेशक (तक),
    रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली

19. श्री के.पी गुप्ता,
    अधिवीक्षण अभियंता,
    रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली

20. श्री नागेश महाजन,
    उप निदेशक,
    रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली

21. श्री एम.के सिन्हा,
    वरिष्ठ सलाहकार,
    रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली